न्यायालय प्रथम अपील अधिकारी (कलक्टर) झालावाड़ (राज0)
पीठासीन अधिकारी श्री हरिमोहन मीना, आई0ए0एस0

मि0नं0 04 /अपील (आर0टी0आई)/2021

लोकेश नागर आ0 नन्दकिशोर, ग्राम पोस्ट हरिगढ तहसील खानपुर
बनाम
लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी,खानपुर

अपील अन्तर्गत धारा 19सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

–:: **निर्णय** ::– दिनांकः 18/10/2021

अपीलान्ट द्वारा यह अपील अपीलान्ट को लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना उपलब्ध नही कराई जाने पर प्रस्तुत की गई है।

अपीलान्ट ने अपील मेमों में निवेदन किया कि अपीलान्ट ने ग्राम हरिगढ की आराजी ख0न0 209/1664,264/1708 की 1.9263 हेक्टेयर भूमि का भैरूलाल आ0 गेदीलाल गाडरी गुर्जर के नाम से दर्ज हो रखा था के कम में खातेदार द्वारा कौम'' गाडरी गुर्जर'' के स्थान पर कौम '' बागरी'' दर्ज करवाने के क्रम में आदेश क्रमांक 65/राजस्व/2015 दिनांक 25.05.2016 प्रकरण संख्या 256/प्रा0पत्र/15 निर्णय पत्रावली में प्रस्तुत किये गये समस्त दस्जावेजों की प्रमाणित प्रति लोक सूचना अधिकारी,उपखण्ड अधिकारी खानपुर से चाही गई थी जो उनके द्वारा उपलब्ध नही कराई गई।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी खानपुर को नोटिस भिजवाया जाकर नोटिस प्राप्ति के 5 दिवस में उस आवेदन पत्र पर विधिवत विनिश्चय करते हुए अपीलार्थी को सूचित कर प्रति पेश करने हेतु निर्देशित किया गया व इसी तरह अपीलान्ट को भी दिनांक 18.10.2021 सुनवाई की दिनांक निश्चित कर उपस्थित होने हेतु सूचना पत्र जारी किया गया। अपीलान्ट को बावजूद सूचना उपस्थित नही होने पर उनका पक्ष नही सुना जा सका।

लोक सूचना अधिकारी प्रत्यर्थी उपखण्ड अधिकारी खानपुर की और से सहायक प्रशासनिक अधिकारी को भिजवाया जाकर पत्रांकः 1305/राजस्व/21 दिनांक 18. 10.2021 द्वारा अवगत कराया गया कि प्रार्थी द्वारा वांछित सूचना उपलब्ध करवादी गई है। इस बाबत प्रार्थी श्री लोकश नागर द्वारा उपखण्ड अधिकारी,खानपुर को संबोधित पत्र जिसमें चाही गई सूचना प्राप्त कर ली गई है कि प्रति भी प्रस्तुत की गई।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। अपीलार्थी के द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत उपखण्ड अधिकारी खानपुर से चाही गई दस्तावेज की प्रति उपखण्ड अधिकारी द्वारा उपलब्ध करवा दी गई है। अपीलार्थी का दौराने सुनवाई बावजूद सूचना उपस्थित नही होना व उपखण्ड अधिकारी,खानपुर के समक्ष उपस्थित हो आर टी आई के तहत मांगी गई सूचना प्राप्त कर लेना का अंकन कर प्रा0पत्र प्रस्तुत करना से यह साबित है कि अपीलार्थी को वांछित सूचना उपलब्ध हो चुकी है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 18/10/2021 को मेरे द्वारा टंकित करवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(हरिमोहन मीना)
प्रथम अपील अधिकारी
जिला कलक्टर,झालावाड